

Court No. - 12

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 11721 of 2024

Applicant :- Mohd. Iqrar Ahmad

Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko. And Another

Counsel for Applicant :- Naved Alam, Ashmita Singh, Prateek Mishra, Rajat Gangwar

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania, J.

Heard learned counsel for the parties.

By means of this application, the order dated 11.10.2024 passed by Additional Sessions Judge, Court No. 10, Barabanki (in short "trial court") in Special Sessions Trial No. 2516 of 2023 (State of U.P. vs. Mohd. Iqrar Ahmad and others) has been challenged, whereby, the trial court has rejected the application preferred by the applicant seeking discharge. The applicant has further prayed before this Court that entire criminal proceedings arising out of Case Crime No. 377 of 2022 dated 25.08.2022 may be quashed. The main reliefs sought in this application are extracted hereunder:-

"I. Quash and set aside the impugned order dated 11.10.2024 passed by Learned Additional District and Session Judge, Court No. 10, Barabanki in Special Session Trial No. 2516/2023 State of U.P. v. Mohd. Iqrar Ahmed arising out of Case Crime No. 377 of 2022, P.S. Asandra, District Barabanki (as contained herein as Annexure-1).

II. Quash and set aside the entire criminal pending on the file of Learned Additional District and Session Judge, Court No. 10, Barabanki in Special Session Trial No. 2516/2023 State of U.P. v. Mohd. Iqrar Ahmed arising out of F.I.R. dated 25.08.2022, Case Crime No. 377 of 2022, Asandra, District Barabanki."

The order impugned dated 11.10.2024, being relevant, is extracted hereunder:-

"11.10.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी।

अभियुक्तगण मो०चांद व इकरार अहमद मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

आज तिथि वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र ब-12 नियत है।

प्रार्थनापत्र ब-12 अभियुक्त मो० इकरार अहमद की ओर से इस आशय का दिया गया कि प्रार्थी उक्त वाद में सहअभियुक्त के बयान के आधार पर जिला कारागार बाराबंकी में निरुद्ध है। प्रार्थी को न तो मौके से गिरफ्तार किया गया है न ही उसके पास से कोई नाजायज वस्तु बरामद हुयी है। प्रार्थी को जब उक्त मुकदमे की जानकारी हुयी तो दिनांक 14.12.22 को न्यायालय के समक्ष

उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया जिसके बाद प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया। प्रार्थी / अभियुक्त वर्तमान में जमानत पर है। प्रार्थी कानून को मानने वाला सीधा साधा व्यक्ति है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। महज गाड़ी चैकिंग के विवाद को लेकर वादी मुकदमा द्वारा उक्त मुकदमे में रंजिशन झूठा फसा दिया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी ने अपराध किया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अतः उक्त मामले से उन्मोचित किये जाने की मांग की गयी।

विशेष लोक अभियोजक एन०डी०पी०एस०एक्ट द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र आपत्ति करते हुये कहा गया कि मामले में अभियुक्त मो०चौद उर्फ गुड्डू जिसके कब्जे से 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी द्वारा पकड़े जाने पर मौके से भागे साथी मो०इकरार अहमद की स्मैक की खरीद फरोख्त में संलिप्तता बतायी गयी जिसके आधार पर अभियुक्त को प्रकरण में नामित किया गया है। विवेचनोपरांत अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता पाते हुये अभियुक्त मो०इकरार अहमद के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 29 एन०डी०पी०एस०एक्ट में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र ब-12 वारिज किये जाने की मांग की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

फर्द बरामदगी के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में अभियुक्त मो०चौद उर्फ गुड्डू जिसके कब्जे से 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी द्वारा पकड़े जाने पर मौके से भागे साथी मो०इकरार अहमद की स्मैक की खरीद फरोख्त में संलिप्तता बतायी गयी जिसके आधार पर अभियुक्त को प्रकरण में को प्रकरण में नामित किया गया है। विवेचनोपरांत मामले में मो० इकरार अहमद के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 29 एन०डी०पी०एस०एक्ट में दिनांक 18.12.22 को प्रस्तुत किया गया है जिसपर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2023 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आरोप विरचित किये जाने के संबंध में यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय से इस स्तर पर अभियोजन साक्ष्य का उतनी गहराई से विश्लेषण करने की अपेक्षा नहीं किया जाता जितना परीक्षण के समय साक्ष्य प्राप्त होने के उपरांत दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति पर विचार करते समय किया जाता है। आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना सम्भाव्य है तब न्यायालय आरोप विरचित कर विचारण अग्रसारित करेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णयज विधि सोमा चक्रवर्ती बनाम स्टेट थ्रू सी०बी०आई० (2007) 2 SC(Cri.) 514 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 'न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप विरचित कर सकती है यदि न्यायालय की राय में अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया जाना सम्भव प्रतीत होता हो, वास्तव में अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है अथवा नहीं, यह विचारण के समय निर्धारित किया जा सकता है आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर नहीं।'

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मो०चौद उर्फ गुड्डू जिसके कब्जे से 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी द्वारा पकड़े जाने पर मौके से भागे साथी मो०इकरार अहमद की स्मैक की खरीद फरोख्त में संलिप्तता बतायी गयी जिसके आधार पर अभियुक्त को प्रकरण में नामित किया गया है। विवेचनोपरांत अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता पाते हुये अभियुक्त मो०इकरार अहमद के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 29 एन०डी०पी०एस०एक्ट में प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार उन्मोचन प्रार्थनापत्र ब-12 खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र ब-12 खारिज किया जाता है। अभियुक्त पत्रावली- वास्ते आरोप दिनांक 06.11.2024 को पेश हो।"

It would be apt to indicate here that the discharge application under Section 227 Cr.P.C. has been filed on the sole ground that the applicant has been implicated on the statement made by the co-accused and the statement of co-accused or confessional statement of accused himself has no evidentiary value.

Learned AGA opposed the present application.

Considered the submissions advanced by the learned counsel for the parties and perused the record.

At this stage of seeking discharge or causing interference in the pending criminal proceedings, the Court has to see as to whether prima facie case is made out against the applicant or not.

Taking note of the aforesaid and also the Sections 24 to 27 of the Indian Evidence Act, 1872 (in short "Act of 1872") read with Section 21 of the Act of 1872, this Court is not inclined to accede the main reliefs sought in this application, quoted above. The instant application is accordingly ***dismissed***.

Order Date :- 19.12.2024

Arun/-